न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र कुमार सिड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2019 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)
जी0सी0एम0एस0नं0– 2019/00050

उनवान

1. रामचन्द्र आत्मज गोपीलाल जी मीणा निवासी पीपल्दाखुर्द तहसील पीपल्दा,जिला कोटा।
2. सुरेंन्द्र आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासी पीपल्दाखुर्द,तहसील पीपल्दा,जिला कोटा।

(प्रार्थी)

बनाम

1. भेरूलाल आत्मज स्व0 माधो।
2. रामस्वरूप आत्मज स्व0माधों
3. रामप्रसाद आत्मज स्व0माधो
4. द्वारक्या बाई पुत्री स्व0 माधों
5. नट्टीबाई पुत्री स्व0 माधों जाति बैरवा निवासीगण पीपल्दाखुर्द तहसील पीपल्दा,
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा।

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– 1. श्री धनश्याम नागर (प्रार्थी की ओर से)
2. श्री श्यामलाल सुमन (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू0राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय दिनांक : 26/2/26

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दाखुद तहसील पीपल्दा जिला कोटा में पुराना खसरा नम्बर 311/7022 की 3 बीधा व खसरा नम्बर 586 की 6 बीधा कुल 9 बीधा भूमि का आंवटन प्रतिपक्षीगण के पिता माधो जी को गलत एवं अवैधानिक तरीके से किया गया है। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि के नये नम्बर 108/1 की 0.96 है0 व खसरा नम्बर 631/1 की 0.48 है0 कुल 1.44 है0 आराजी कायम किये गये। उक्त आंवटन दिनांक 9.12.83 राजस्थान अलोटमेन्ट रूल्स के पूर्णत्या विपरीत है क्योकि प्रतिपक्षीगण के पिता का व प्रतिपक्षीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा जब कि उक्त आवंटन शुद्वा आराजी पर प्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय ही 30 वर्षो से तन्हा कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज तथा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त अलोटमेन्ट में अलोटमेन्ट समिति के पूरे क़ोरम के सदस्यो के हस्ताक्षर नही है इसलिए भी आंवटन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन करते समय राजस्थान आंवटन रूल्स की पालना नही की गई है तथा ओक्यूपाइड लेण्ड का अलोटमेन्ट किया गया

अति॰ जिला कलेक्टर
कोटा

है जो सर्वथा अवैधानिक व निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन का सर्वप्रथम ज्ञान पटवारी हल्का से दिनांक 17.7.2013 को हुआ ओर नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि आंवटन दिनांक 9.12.1983 को आंवटन समिति द्वारा ग्राम पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा की पुराना खसरा नम्बर 311/7022 की 3 बीधा व खसरा नम्बर 586 की 6 बीधा कुल 9 बीधा भूमि का किया गया आंवटन निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन शुद्वा आराजी पर प्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय ही 30 वर्षो से तन्हा कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज तथा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त अलोटमेन्ट में अलोटमेन्ट समिति के पूरे कोरम के सदस्यो के हस्ताक्षर नही है इसलिए भी आंवटन किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन करते समय राजस्थान आंवटन रूल्स की पालना नही की गई है तथा ओक्यूपाइड लेण्ड का अलोटमेन्ट किया गया है जो सर्वथा अवैधानिक व निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थीगण ने दौरान बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण को भूमि नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूरे कोरम में आंवटन किया गया है। आंवटन बहाल रखा जावे। उक्त आराजीयात् पर प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोक किया गया । वकील प्रार्थी उक्त अन्तर्गत धारा 14(4) भू0राजस्व अधिनियम 1970 के तहत दिनांक 16.08.2013 को प्रस्तुत किया गया है । आवंटन आदेश की प्रथम जानकारी पटवारी हलका से प्राप्त होना जाहिर किया है यह प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 9.12.83 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 16.08.2013 को पेश हुआ जो विलम्ब से पेश हुआ है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

प्रकरण में विवादित आराजीयात का आंवटन राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियो के आंवटन तथा विक्रय सम्बधी) नियम 1957 के तहत किया गया है। जबकि वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है।

अतः प्रकरण में न्यायालय का यह मत है कि उक्त भूमि पर राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1970 की धारा 14(4) के प्रावधान लागू नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू0राजस्व अधिनियम 1970 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ....26/2/16.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह सांखला)
अति. जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर